झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना– 13/2023 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

जॉर्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

विषयः– जिला विज्ञान केन्द्र, गिरिडीह के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 58,88,500/– (रू0 अंठावन लाख अठासी हजार पांच सौ) मात्र की निकासी हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

झारखण्ड राज्य में विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु राज्य के 09 जिलों यथा – गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर एवं दुमका में जिला विज्ञान केन्द्र का सुदृढ़ीकरण कर उक्त केन्द्रों का शीघ्र क्रियाशील बनाकर आम जनता के लिए खोला जाना है। उक्त के निमित गिरिडीह जिला में अवस्थित जिला विज्ञान केन्द्र के जीर्णोद्धार हेतु उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक 703 दिनांक 21.06.2023 द्वारा प्राप्त प्राक्कलन की राशि रू0 58,88,500/– (रू0 अंठावन लाख अठासी हजार पांच सौ) मात्र का विभागीय पत्रांक 20/योजना दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. जिला विज्ञान केन्द्र, गिरिडीह के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित उपायुक्त, गिरिडीह/कार्यकारी एजेन्सी को कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गयी है। उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक 690 दिनांक 30.08.2024 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है।

   अतः उक्त के आलोक में जिला विज्ञान केन्द्र, गिरिडीह के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल रू0 58,88,500/–(रू0 अंठावन लाख अठासी हजार पांच सौ) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक /खनन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, गिरिडीह होगें तथा कार्य के गुणवत्ता/प्रगति के संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात ही राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
5. उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपायुक्त द्वारा विभाग को प्रतिवेदन समर्पित की जायेगी।
6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।

8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0—2561 दिनांक—17 / 04 / 98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा—निर्देश एवं समय—समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
9. राशि की निकासी जिला कोषागार, गिरिडीह से की जायेगी।
10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
11. झारख़ण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जायेगा।
12. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन / मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0 / —
(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— 02.त0शि0 / योजना— 13 / 2023 / राँची, दिनांक—
प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— 02.त0शि0 / योजना— 13 / 2023 / राँची, दिनांक—
प्रतिलिपि :— उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विषयांकित कार्य से संबंधित राशि का भुगतान कार्य की गुणवता तथा प्रगति के संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात ही करने की कृपा की जाय।

ह0 / —
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— 02.त0शि0 / योजना— 13 / 2023 / 20 / योजना / राँची, दिनांक— 25.09.2024
प्रतिलिपि :—योजना एवं विकास विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार / बजट पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता, NREP, गिरिडीह / लेखा शाखा / कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् / उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता / नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु / प्रभारी निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में रखने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/24
सरकार के संयुक्त सचिव